Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्र0सं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर अहक हुक्म में
14.11.2022	पत्रावली पेश हुई। गैर निगराकार अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। गैर निगराकार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पत्रावली के समान विषयवस्तु की ही एक अन्य निगरानी/पत्रावली न्यायालय हाजा में ही जैरकार है जिसके प्रकरण संख्या 24/2021 है। अतः समान पट्टा की ही दो भिन्न–भिन्न पत्रावली जैरकार होने से अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा दोनों पत्रावलियों की सुनवाई एक साथ करने हेतु उक्त पत्रावलियों को क्लब कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। मैने दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन जाहिर आया कि निगराकार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 12/2020 में ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा, पंचायत समिति, माण्डल द्वारा श्री उदयराम पिता बीरम जाति गुर्जर निवासी गोवधनपुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.02.2013 को निरस्त किये जाने निवेदन किया है, उसी पट्टे एवं ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा के आदेश को निरस्त करने हेतु श्री पारसमल गुर्जर निवासी गोवर्धनपुरा द्वारा भी न्यायालय हाजा में एक अन्य निगरानी और प्रस्तुत कर रखी है, जिसके प्रकरण संख्या 24/2021 होकर जैरकार है। अतः समान पट्टे के संबंध में दो अलग–अलग निगरानियां न्यायालय हाजा में जैरकार होने से उक्त दोनों प्रकरणों/पत्रावलियों (प्रकरण संख्या 12/2020 एवं 12/2020) की सुनवाई एक साथ करने हेतु इन्हें क्लब किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण संख्या 12/2020 की पत्रावली को प्रकरण संख्या 24/2021 के साथ नत्थी किया जावें। (आशीष मोदी) जिला कलक्टर भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा	